भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

76AA 545790

मकान 10/ नजूल नम्बर 16 47 [illegible] है।

पढ़ा [signature] सुना [signature] स.र. II

00CC 266670

॥श्री गणेशाय नमः॥

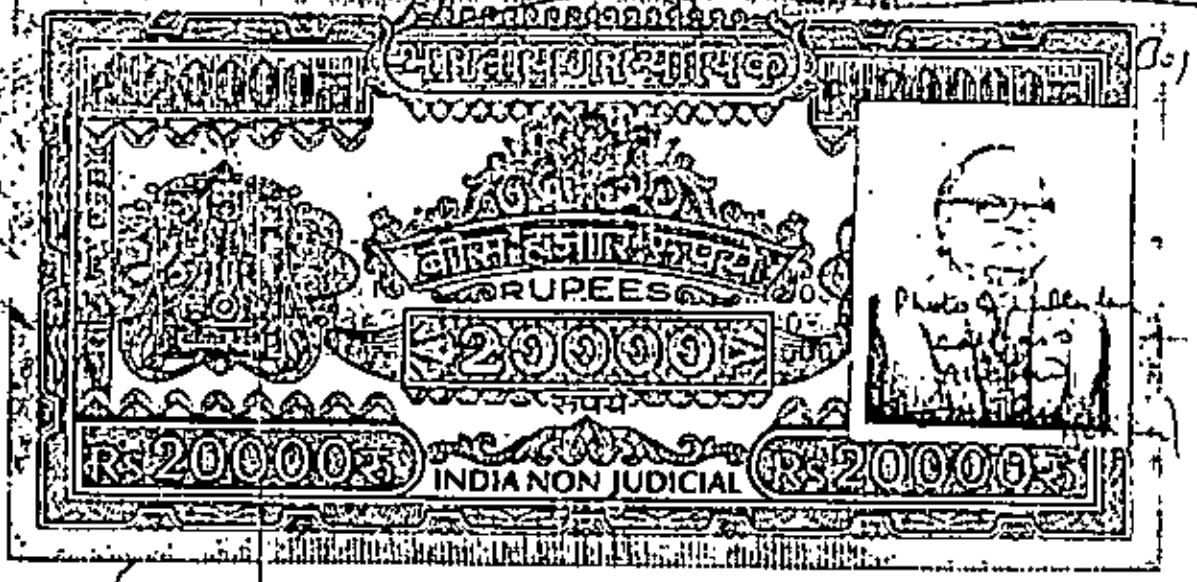

मै. दि सुमित्र सहकारी आवास समिति लि० रजिस्ट्रेशन नं० 1247 सन् 1989 कार्यालय 112/206 बी स्वरूप नगर, शहर कानपुर द्वारा सचिव, लल्लू लाल कटियार पुत्र स्व० ठाकुर प्रसाद कटियार निवासी 112/206 बी स्वरूप नगर, शहर कानपुर का हूँ

विदित होवे कि मुकिर समिति आराजी भूमिधरी नम्बरी 1091 रकबई 2 बीघा 10 बिस्वा स्थित मौजा देरी अकबरपुर बहार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर के 2/3 भाग यानी रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा 1-14-0 का सरह मालिक काबिज व दखील कार है। मुकिर ने उपरोक्त आराजी को दिनांक 31-7-95 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बाबूराम, रामकुमार पुत्रगण टीका निवासी ग्राम रूपपुर, मौजा देरी अकबरपुर से क्रय किया था, जिसकी रजिस्ट्री पुस्तक संख्या-1 खण्ड 629 के पृष्ठ 335/354 पर क्रम संख्या 1980 पर दिनांक 10-10-95 को फोटो स्टेट प्रति सब रजिस्ट्रार कार्यालय कानपुर में दर्ज है। बाद बयनामा मुकिर मालिक काबिज दखील चला आ रहा है।

क्रमशः पृष्ठ-2

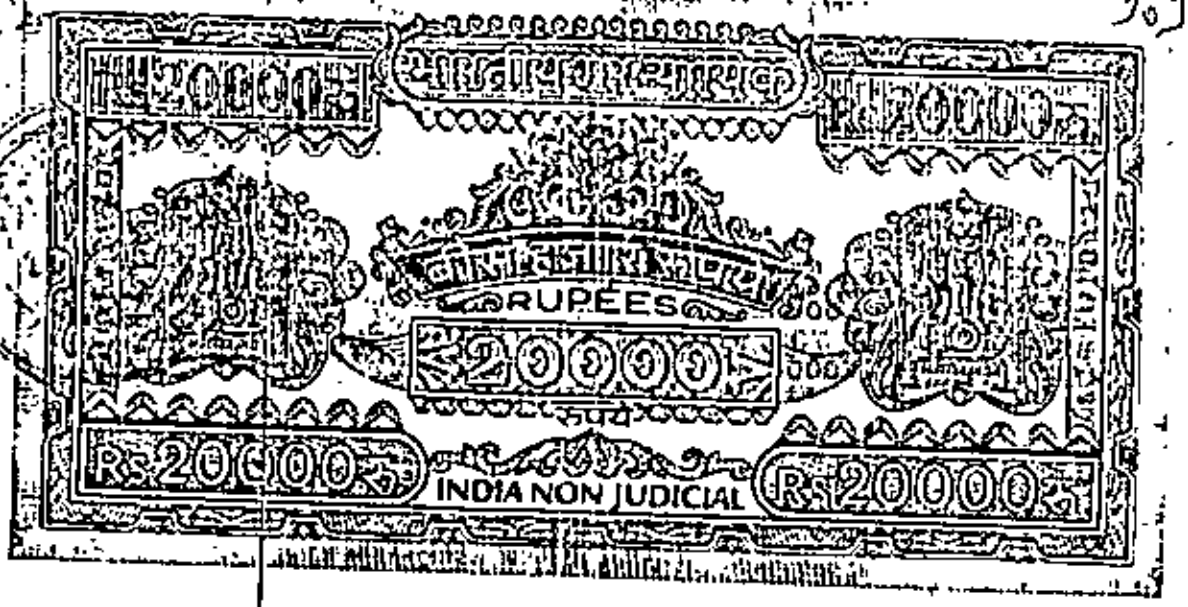

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000

RUPEES 20000

00CC 268669

मुकिर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार नहीं है। उक्त जायदाद आज दिन तक हुमा हर किस्म से बरी पाक व साफ है। बही, रहन, बय, हिबा, मुस्तगरक, जमानत आदि नहीं है, तथा किसी डिगरी व इजराये डिगरी में कुर्क अथवा इसके नीलाम नहीं है, तथा किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा विक्रय आदि करने से भी रोका नहीं गया है, तथा किसी मोहकमा सरकारी द्वारा आज दिन तक अधिग्रहीत नहीं की गयी है, और न ही मिन मुकिर को अधिग्रहीत करने सम्बन्धी कोई नोटिस ही प्राप्त हुआ है। गरजे कि उक्त जायदाद आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है, तथा मुकिर को उक्त जायदाद को बजरिये बयनामा हस्तान्तरण सम्बन्धी कुल अधिकार मालिकाना हासिल है। चूँकि मुकिर समिति को उपरोक्त आराजी में स्पोर्ट रोड न मिल पाने के कारण मिन मुकिर अपने सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति हेतु प्लाट काटने में असमर्थ है, लिहाजा मिनमुकिर ने यह उचित समझा कि उक्त जायदाद को विक्रय कर कोई दूसरी भूमि को खरीद लेवे, ताकि मुकिर समिति के सदस्यों को रिहायश हेतु उचित व्यवस्था हो सके। लिहाजा मुकिर ने उक्त

500Rs.

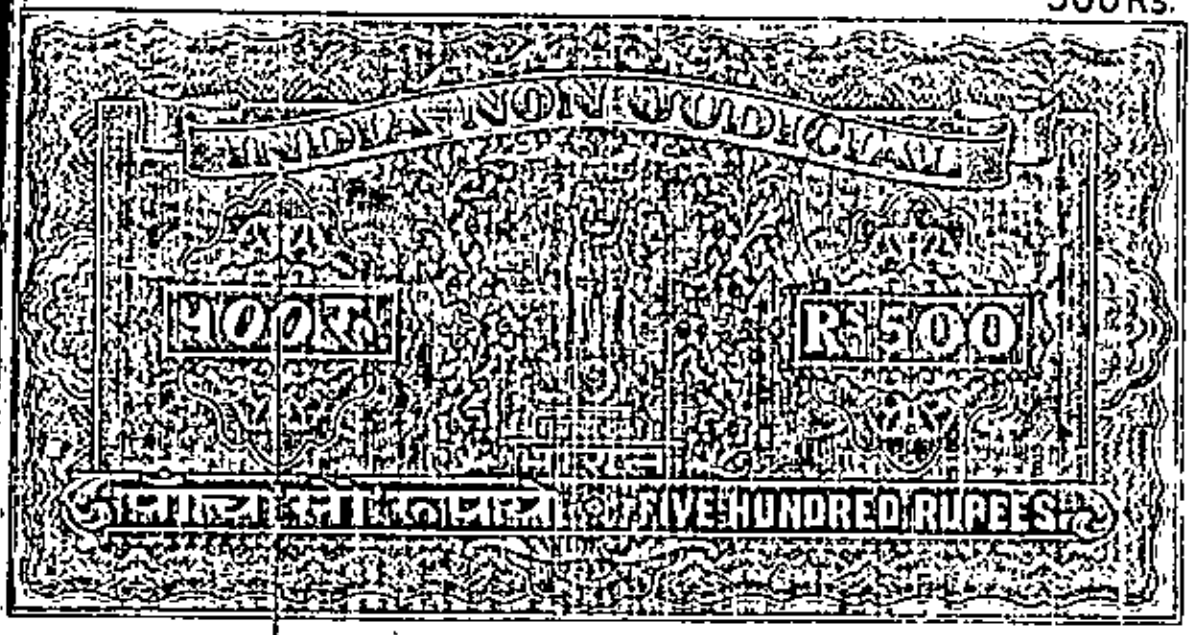

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.   Rs 500

पाँच सौ रुपये   FIVE HUNDRED RUPEES

भूमि को मैं/हम उचित स्थान कर पैमाइशी बाबत मय उत्तर भागदीन शुदा को, तो मुक्त-शुदा कब पर बिला ब्याज मुबलिग 2,79,500/- दो लाख उन्यासी हजार पाँच सौ रुपया में महावीर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर माल रोड शहर कानपुर द्वारा सचिव एस०के० जैन पुत्र श्री जे०के० जैन 73 आर.एन. पुरम कारदिय शहर कानपुर रजि० नं० 666/82, पर तैयार व रजिस्टर्ड है, जमीन जिसका मुनासिब व वाजिब है, बाजारी भाव से कम नहीं है। जिसका बहाल बेचा जाता व मकान अमल दरामद होगा इतना बिना किसी हक नाजायज के मय जुमला हक व हकूक दाखिली व खारिजी हाल व आयन्दा बिना छोड़े हुये किसी चीज के बिला ब्याज मुबलिग 2,79,500/- दो लाख उन्यासी हजार पाँच सौ रुपया, जिसके आधे मुबलिग 1,39,750/- एक लाख उन्तालिस हजार सात सौ पचास रुपया जिसका विक्रय स्टाम्प मुताबिक के होते हैं, बदस्त महावीर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर माल रोड शहर कानपुर द्वारा सचिव श्री एस०के० जैन -

क्रमश: पृष्ठ-4

702

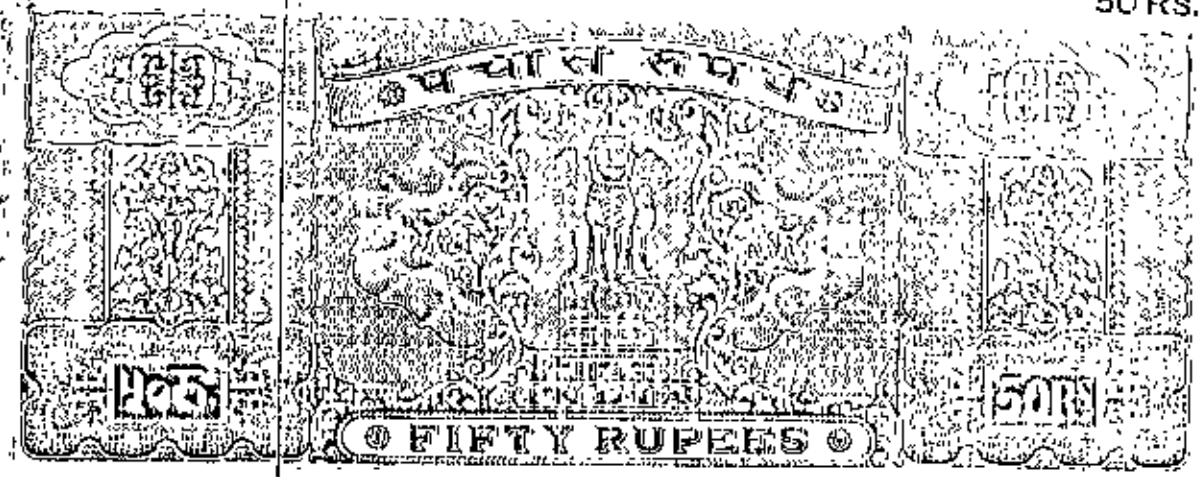

50 Rs.

FIFTY RUPEES

पुत्र श्री जे0के0 जैन उपरोक्त के बय कतई कर दिया, यानी बेच डाला तथा कुल कीमत मिनमुकिर ने उक्त खरीदार समिति से निम्न तफसील के अनुसार वसूल पा लिया है। निस्बत् जर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रहा। मिन मुकिर विक्रेता ने मिस्ल अपने आज की तारीख से कब्जा व दखल मालिकाना व [illegible] जायदाद मुबैया हाजा पर खरीदार समिति का करा दिया तथा मालिक, काबिज करा दिया, खरीदार समिति आज की तारीख से जायदाद मुबैया हाजा की एक मात्र मालिक, काबिज व दखील हो गयी। खरीदार जिस प्रकार से चाहे जायदाद मुबैया हाजा को अपने इस्तेमाल व प्रयोग में लावे, खरीदार को चाहिये कि वह अपना नाम कागजात सरकारी में बजाना मिलकियत दर्ज करा लेवे, तथा दर्ज नाम इन्दराज करा देवे, जिसकी रजामन्दी जरिये दस्तावेज बयनामा हाजा द्वारा समझी जावेगी। फिर भी यदि कहीं जरूरत पड़ी तो मुकिर अपनी तहरीरी व जुबानी रजामन्दी जैसी भी जरूरत होगी पेश कर देगा। यदि जायदाद मुबैया हाजा का कुल या जुज भाग कब्जा व दखल मुकिर के फेल या तकफेल या नुक्स मिलकियत आदि की वजह से खरीदार से निकल जावे, तो सारी जुम्मेदारी मुकिर व वारिसान मुकिर की होगी, और खरीदार को अधिकार होगा कि वह

क्रमशः पृष्ठ-5

अपना कुल जर समन मय हर्जा खर्चा के मुकिर की दीगर जात खास जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस प्रकार से चाहे दाम दाम नकद वसूल पा लेवे। इसमें मुकिर व वारिसान मुकिर को कोई उजर व एतराज न होगा। जुमला शरायत दस्तावेज हाजा की पाबंदी मुकिर व वारिसान मुकिर पर लाजिम व वाजिब होगी।

लिहाजा खूब सोच समझ कर बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दबाव नाजायज के स्वस्थ मन बुद्धि चित्त की दशा में यह सनद कलमात [illegible] बयनामा कतई तहरीर कर दिया, ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

विवरण जायदाद मुबैया

आराजी भूमिधरी नम्बरी 1091 एक सौ इक्यानबे रकबा 2बीघा 10 बिस्वा दो बीघा दस बिस्वा, हिस्सा मुकिर 2/3 दो बटा तीन यानी रकबा 1बीघा 14 बिस्वा स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर विक्रय किया गया।

तफसील वसूलयाबी जरे समनमुबलिग 2,79,500/- दो लाख उन्यासी हजार पांच सौ रुपया।

मुकिर ने सम्पूर्ण जरे समन मुबलिग 2,79,500/- दो लाख उन्यासी हजार कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा नकद वसूल पाये। मुकिर को खरीदार समिति से कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा।

तफसील स्टाम्प अदायगी

कुल विक्रय धनराशि मुबलिग 2,79,500/- दो लाख उन्यासी हजार

-6-

पाँच सौ रुपया पर मुबलिग 40,550/- चालीस हजार पाँच सौ पचास रुपया का स्टाम्प अदा किया गया।

दिनांक तहरीर- 04-05-1996ई0

मुकिर

गवाह नं01 R. C. Tripathi
Late Sri Ratan Kumar Tripathi
R/o 147, Chayan, Nawab Ganj
Kanpur Nagar

गवाह नं02 Kuldeep Shankar
S/o Sri Dhani Ram Yadav
R/o Kashiganwan, Kanpur Nagar

टाईपकर्ता- अशोक कुमार त्रिपाठी
ला0नं0 46 सिविलकोर्ट,
कानपुर नगर।